


**सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार पटना का संकल्प सं०-6161 दिनांक-24.04.2015,
पत्रांक-002 दिनांक-19.05.2015 एवं बिहार सरकार, जल संसाधन विभाग, पटना का
पत्रांक-518 दिनांक-30.06.2010 के द्वारा माँगी गयी सूचना निम्न प्रकार है :-**

नियोजित कर्मों का नाम - श्री तनवीर आलम
कार्यालय का नाम - मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, डिहरी
पदनाम - कम्प्यूटर ऑपरेटर (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर)
कार्यालय का नाम - मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी


12/10/15

8.6/9.15
12.1.15

14-10-15

Sic-897
14/10/15

क्र०	नियोजित कर्मियों के संबंध में मांग की गई सूचना	कार्यरत ऑपरेटरों से संबंधित सूचना	अभ्युक्ति
01	02	03	04
1	प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम	स्नातक कम्प्यूटर ऑपरेटर	
2	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या	01	
3	किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी	ई-टेडरिंग हेतु (राज्य योजना के तहत)	
4	नियोजन का पद किस श्रेणी का है। (समूह-ग या घ)	समूह-'ग'	
5	क्या यह पद स्वीकृत था अगर है तो, स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश।	विभागीय पत्रांक-415 दिनांक-05.05.10 के आलोक में (संलग्न)	
6	क्या प्रत्येकवार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं ?	-	
7	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छाया प्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय)	विभागीय पत्रांक-518 दिनांक-30.06.10 एवं पत्रांक 599 दिनांक 17.09.13 के आलोक में नियोजन की प्रक्रिया अपनायी गयी।	
8	नियोजन हेतु घयन की प्रक्रिया।	कम्प्यूटर दक्षता के आधार पर	
9	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता।	स्नातक	
10	क्या नियोजित कर्मों वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं।	हाँ	
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	स्वीकृत पद के विरुद्ध नियोजन नहीं किया गया था तथा विभागीय आदेश में आरक्षण पालन करने संबंधि आदेश निर्गत नहीं था।	
12	नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी।	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी	
13	उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	हाँ	
14	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद	संलग्न	

	पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)		
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	तीन साल	
16	प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	एक साल	
17	प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना।	संलग्न	
18	प्रत्येक पदवार मानदेय / पारिश्रमिक / वेतन / Consulted Pay इत्यादि की भुगतये राशि।	रु0 4700.00 (Consulted Pay)	
19	जिस शीर्ष / मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	शीर्ष- '2801'	
20	जिस नियमावली / संकल्प / परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छाया प्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)	संलग्न	

तनवीर आलम

(तनवीर आलम)
मुख्य अभियंता कार्यालय,
जल ससाधन विभाग, डिहरी

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संघारित है।